



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 60054-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 5361/2026

योगेश चाहर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कुलदीप सिंह चाहर

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.12.2025 को दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है, जिससे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20/29 के तहत मामला संख्या 0354/2025, थाना किरावली, जिला पश्चिमी (आगरा आयुक्त कार्यालय) में दर्ज की गई है।
3. आक्षेपित एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में एफआईआर 193 किलोग्राम गांजा की बरामदगी के आधार पर दर्ज की गई है और उसमें लगाए गए आरोपों के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि सूचनादाता को सूचना मिली थी कि मथुरा के वृंदावन निवासी जकारिया उर्फ जका अपने साथियों किशन सिंह उर्फ अन्ना और योगेश चाहर (वर्तमान याचिकाकर्ता) के साथ गांजे की अवैध तस्करी में लिप्त हैं और सह-आरोपी किशन सिंह उर्फ अन्ना अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के माध्यम से उक्त प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) लाया गया है, जिसे किरावली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लेदर पार्क के पास कहीं छिपाया गया है।

4. फिर 19.12.2025 को सूचनादाता से एक और सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी जकारिया उर्फ जका, किशन सिंह उर्फ अन्ना और योगेश चाहर, जिनके अलग-अलग मोबाइल नंबर हैं, प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) की अवैध तस्करी में लिप्त हैं।

5. आगे यह आरोप लगाया गया है कि किशन सिंह उर्फ अन्ना और उसके बहनोई योगेश चाहर जकारिया से संबंधित प्रतिबंधित वस्तु (गांजा) लाए थे और उसे याचिकाकर्ता योगेश चाहर के पैतृक गांव जंगारा ले जा रहे थे। हालांकि, पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्होंने उक्त प्रतिबंधित वस्तु को लेदर पार्क के गेट के पास झाड़ियों में छिपा दिया था, जहां से प्रतिबंधित वस्तु छह प्लास्टिक बैग में रखी हुई बरामद की गई, जिसका वजन 193 किलोग्राम पाया गया। इसे कब्जे में ले लिया गया और आवश्यक बरामदगी मेमो तैयार किया गया, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवादित एफआईआर दर्ज की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि आक्षेपित एफआईआर में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है और इसलिए आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान एजीए ने याचिकाकर्ता की उपरोक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, जिसमें याचिकाकर्ता और दो अन्य आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री (ठीक 193 किलोग्राम गांजा) बरामद कर कब्जे में ले ली गई है।

9. विद्वान एजीए ने आगे यह तर्क दिया है कि आक्षेपित एफआईआर में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है और मामले में गहन जांच और पूरी छानबीन की आवश्यकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. विद्वान एजीए ने आगे मोहम्मद सहाबुद्दीन और अन्य बनाम असम राज्य बनाम संजीव वी. देशपांडे: AIR 2014 SC 3625; हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य: AIR 2020 SC 3255; और पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार: AIR 2019 SC 84, के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है एवं इन सभी के मद्देनजर, इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह रिट याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने और याचिकाकर्ता की भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के विशिष्ट आरोप और पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए 193 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और तैयार किए गए उचित बरामदगी जापन को ध्यान में रखते हुए, जो इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, हम इस राय के हैं कि प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।

12. इसके अलावा, पिछले अनुच्छेदों में चर्चा किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और राज्य के विद्वान एजीए द्वारा प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, हमारा मत है कि आक्षेपित एफआईआर, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञेय अपराधों को स्पष्ट रूप से उजागर करती है, को इस प्रारंभिक चरण में, विशेष रूप से भारी बरामदगी को देखते हुए, समाप्त नहीं किया जा सकता है।

13. इसके मद्देनजर, आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना इस स्तर पर पूरी तरह से गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

14. यह रिट याचिका मेरिट रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

23 मार्च, 2026

केयू

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।